-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मरका में पंजीकृत दहेज हत्या के मामले का सफल अनावरण करते हुए थाना मरका व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तथाकथित मृतका को किया गया सकुशल बरामद। महिला के 02 वर्ष से ससुराल में न मिलने तथा किसी प्रकार के संपर्क न होने पर पिता द्वारा दर्ज कराया गया था दहेज हत्या का मुकदमा।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के क्रम में थाना मरका पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए थाना मरका व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तथाकथित मृतका को सकुशल बरामद कर लिया गया। गौरलतब हो कि थाना मरका क्षेत्र अन्तर्गत कुम्हेणा के रहने वाले बिन्दा प्रसाद द्वारा मा0 न्यायालय में दायर अपील के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में दिनांक 02.09.2025 को थाना मरका पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (दहेज हत्या) पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपनी पुत्री रागिनी को उसके ससुरालीजनों द्वारा 05 लाख रुपये नकद व सोने की चेन के दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे तथा 02 वर्ष पूर्व उसकी हत्या कर कहीं फेंक दिए। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह द्वारा संपादित की जा रही थी। त्वरित एवं प्रभावी विवेचना के फलस्वरुप अभियोग का अनावरण किया गया। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि रागनी उपर्युक्त की शादी 23.02.2023 को अखिलेश कुमार नि0 जयरामबारी थाना अतर्रा के साथ हुई थी। बरामद महिला द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र चली गई थी तथा वहीं रह रही थी। पुलिस द्वारा अभियोग में दर्शायी गई तथाकथित मृतका को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।